110

संख्याः 273 / III (3) / 15–01(नाबार्ड) / 2014 टी.सी.

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–3

देहरादून, दिनांकः 10 मार्च, 2015

विषयः– नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 फेज–14 से 19 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पुनर्आवंटन / समायोजन की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–8817 / 19 बजट (नाबार्ड वित्त पोषित) / 2014–15 दिनांक 28.02.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–22 लेखा शीर्षक–5054, (आयोजनागत) नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 फेज–14 से 19 में शासनादेश दिनांक 27.06.2014 एवं शासनादेश दिनांक 02.09.2014 द्वारा अवमुक्त कुल धनराशि रू0 25000.00 लाख (रू0 दो सौ पचास करोड़) के सापेक्ष पुनःआवंटन / समायोजन की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– ज्ञातव्य है कि उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृति संख्या–619 / III(3) / 2014–01(नाबार्ड) / 2014, दिनांक 27.06.2014 एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या–797 / III(3) / 2014– 01(नाबार्ड) / 2014, दिनांक 02.09.2014 के माध्यम से कुल रू0 25000.00 लाख स्वीकृत किये गये थे, इस स्वीकृति में विभाग द्वारा योजनावार लागत में संशोधन आदि का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए शासन स्तर से पुनः समायोजन करने का अनुरोध किया गया था तत्क्रम में शासन द्वारा इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की गयी थी कि सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही कराते हुए प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायें। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 22.10.2014 तद्विषयक अनुस्मारक दिनांक 11.12.2014 एवं दिनांक 06.01.2015 के द्वारा अपेक्षित कार्यवाही करने के निर्देश निर्गत किये गये थे, अपेक्षित कार्यवाही / आख्या अद्यावधिक अप्राप्त एवं प्रतीक्षित है।

3– पूर्व में नाबार्ड फेज–14 से नाबार्ड फेज–19 तक के कार्यो हेतु अवमुक्त उपरोक्त धनराशि रू0 25000.00 लाख के सापेक्ष पुनः उपरोक्त रू0 1914.97 लाख के प्रस्ताव के पुनर्आवंटन / समायोजन की स्वीकृति निम्न शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) पत्र संख्या–8817 / 19 बजट (नाबार्ड वित्त पोषित) / 2014–15 दिनांक 28.02.2015 के अनुसार उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार ही पुनर्आवंटन / समायोजन की कार्यवाही की जाय।

(2) नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में वर्तमान तक, कार्यवार / फेजवार अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 25000.00 लाख (रू0 दो सौ पचास करोड़) की सीमा तक ही संशोधित आवंटन किया जाय।

(3) शासनादेश संख्या–619/III(3)/2014–01(नाबार्ड)/2014, दिनांक 27.06.2014 एवं शासनादेश संख्या–797/III(3)/2014–01(नाबार्ड)/2014, दिनांक 02.09.2014 द्वारा स्वीकृत धनराशि पर ही पुनर्आवंटन/समायोजन की कार्यवाही विशेष परिस्थितियों में प्रदान की जा रही है। इसे भविष्य के लिए किसी अन्य कार्य में दृष्टांत नहीं बनाया जाय।

(4) प्रस्तावित पुनर्आवंटन/समायोजन की जाने वाली धनराशि के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त समस्त कार्य नाबार्ड से अनुमोदित हैं एवं वर्तमान में गतिमान हैं।

(5) उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त, शासनादेश दिनांक 27.06.2014 एवं दिनांक 02.09.2014, की शेष समस्त शर्तें एवं प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः– 223 (1)/III(3)/2015, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग,
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, राजपुर रोड़, देहरादून।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1/2, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
8. परियोजना निदेशक, पी0एम0यू0, ए0डी0बी0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9. समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
10. लोक निर्माण अनुभाग–1/2, वित्त अनुभाग–1/2, उत्तराखण्ड शासन।
11. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
अपर सचिव।